न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–35/2016/225 आर.टी.एक्ट (2016/00035)

1. रामराय उर्फ रामराज जाति जाट, निवासी गोपाल पट्रोल पम्प के पास,कोटा रोड केकडी जिला अजमेर (राज०)

अपीलांट

बनाम

1. रतनी पुत्री स्व0 किशनलाल
2. गीता पुत्री स्व0 किशनलाल
3. रूपचंद पुत्री स्व0 किशनलाल
4. सीता पुत्री स्व0 किशनलाल
5. जोधराज उर्फ जोधाराम पुत्र नाथू
6. बजरंग पुत्र नाथू
7. श्रीमती जेठूडी पत्नी रामचंद्र
8. रामेश्वर पुत्र रामचंद्र
9. सुरेश पुत्र रामचंद्र
   रामरत जाति जाट, निवासी बघेरा रोड केकडी जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी
11. उप पंजीयक महोदय, केकडी।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.12.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,केकडी, राजस्व वाद संख्या 149/2009

उपस्थितः–

1. श्री जी,एस लखावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री मंगलाराम चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 8, 9.
3. श्री अजीत सिंह वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 5.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 10, 11
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4, 6, 7 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–.16.9.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 149/2009 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 31.12.2015 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय में उदघोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा व विभाजन बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जंगल केकडी पटवार क्षेत्र केकडी में खसरा संख्या 3826 रकबा 0.38 हैक्टर स्थित है, जिसका वादी 1/2 हिस्से का खातेदार है, जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में अलग–अलग विभाजन का अंकन किया जाए उक्त वाद के लंबित रहते एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किया, तत्पश्चात दिनांक 31.12.2015 को उक्त प्रार्थना पत्र का निरस्तारण करते हुए उपखण्ड अधिकारी केकडी ने अपीलार्थीगण/वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे असंतुष्ट एवं व्यथित होकर अपीलार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4, 6, 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि यह कि उपखण्ड अधिकारी केकडी ने राजस्व वाद संख्या 57/98 उनके न्यायालय से निर्णित होने के आधार पर अपीलार्थी का वर्तमान वाद खारिज किया है, जबकि पूर्व वाद किशनलाल, बजरंग, जोधाराम, पुत्रगण नाथू द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादी माधू , किशनलाल श्योजी रामराय, भूरा थे तथा उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत था तथा उक्त वाद में वर्तमान वादी/अपीलकर्ता बतौर प्रतिवादी संख्या 4 पक्षकार था जिसमें उसके द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के उक्त वाद का विरोध किया गया तथा अंत में न्यायालय द्वारा उक्त वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.9.2003 के द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार उक्त पूर्ववती वाद के खारिज किए जाने को वर्तमान वाद की सुनवाई बाबत बाधा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वर्तमान वाद राजस्व अभिलेखों में जो हक, हिस्सा अपीलकर्ता वर्तमान वादी का अंकित है उसके विभाजन बाबत वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने मात्र पूर्व में किसी वाद के निस्तारण होने को अपने निर्णय का आधार बना लिया, जो वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के अनुसरण में किसी भी प्रकार से समुचित एवं विधि सम्मत नहीं है। यह कि वर्तमान वाद प्रस्तुत करते हुए अपीलकर्ता/वादी ने वाद कारण दिनांक 22.6.2009 को उत्पन्न होना अंकित किया है तथा उक्त वाद कारण उत्पन्न होने के उपरांत विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया, इस प्रकार वाद में चाहा गया अनुतोष एवं वाद कारण भिन्न है जो किसी भी प्रकार से रेसज्यूडिकेटा का असर वर्तमान वाद के पूर्व पारित निर्णय का नहीं है इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अवैध निर्णय पारित किया है जो अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत वर्तमान प्रकरण निस्तारित किया है। इस कारण उनके द्वारा पारित निर्णय अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,केकडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.12..2015 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंटस ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी बाबत् वाद निस्तारण उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 97/1998, निर्णय दिनांक 15.09.2003 को काउन्टर दावा बउनवान किशन लाल बनाम माधु वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए व 53 राज.काश्तकारी अधिनियम में निस्तारण किया जा चुका है जो उक्त प्रकरण रेसजुडीकोटा के अन्तर्गत आता है और विधि के विरूद्ध विपरीत वाद–पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं था। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजीयात के नये खसरा नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

3826 रकबा 0.38 है. जिसके पुराने खसरा नम्बर 3463 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा 10 बिस्वांसी है। वादी एवं आराजी के पूर्व विक्रेता माधु पुत्र हजारी व काली बेवा लादू पुत्री लाल जाट निवासी केकड़ी के व प्रतिवादीगण के मध्य खसरा नम्बर 3463 बाबत् न्यायालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राज., जयपुर द्वितीय अपील संख्या 29/99 निर्णय दिनांक 20.12.2004 को पेश हुआ। जिसमें जिला कलक्टर, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया गया है वे अपीलांट तथा प्रकरण से सम्बन्धित सभी पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। हजारी को मृतक घीसा का वारिस नहीं माना फर्जी वारिसान लादू, माधु, काली वारिस नहीं हो सकते है व नाथु की सम्पत्ति में हिस्सो कैसे ले सकते है। वादी को फर्जी बैचान किया जो अवैध व बैचाननामा प्रारम्भ से नल एण्ड वोईड प्रभावहीन व शून्य है। वादीगण ने वर्तमान में एक वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 88 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है,जो वर्तमान में कस्बा केकडी तहसील केकडी की जमाबंदी संख्या 2061 से 2064 के खाता संख्या 881 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 3826 रकबा 0.38 हेक्टर बाबत पेश किया गया है। उक्त आराजी का वाद प्रतिवादी ने पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष मुकदमा नम्बर 57/98 उनवानी श्री किशन लाल वगैरह बनाम श्री माधू वगैरह के नाम पेश हुआ था। जिसका उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी से दिनांक 15.09.2003 को निर्णित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 श्री रामराय पुत्र श्री रंगलाल था। जिसने पूर्व प्रकरण क्लेम धारा 88, 188, 9ए, 53 का पेश किया गया था। जो निर्णय दिनांक 15.09.2003 से वादी का दावां खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भी खारिज कर दिया गया है। जब वादग्रस्त आराजी पर इस न्यायालय से एक बार निर्णय डिक्री पारित की जा चुका है तो पुनः उसी आराजी पर बिना अपील में गए बिना किसी न्यायालय से पुनः सुनवाई का अवसर लिए कैसे सुनवाई की जा सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत् है व अपील अपीलांट निरस्त फरमाए जाने का आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक श्री अजीत सिंह राठौड़ ने अपने समर्थन में Western Law Cases(Raj) 2008(3)पेज 534 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजा जंगल केकडी पटवार क्षेत्र केकडी में खसरा संख्या 3826 रकबा 0.38 हैक्टर बाबत् वाद प्रस्तुत किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इसी विवादग्रस्त बाबत् पूर्व में मुकदमा नम्बर 57/1998 बउनवानी श्रीकिशन लाल वगैरह बनाम माधू वगैरह पेश किया गया था जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा 15.09.2003 को निर्णित किया जा चुका है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 04 रामराय पुत्र रंगलाल था उक्त वाद को एवं प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को खारिज किया गया था। वादग्रस्त आराजी पर इस न्यायालय से एक बार निर्णय पारित किया जा चुका है, तो पुनः वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मान्नीय उच्च न्यायालय ने Western Law Cases(Raj) 2008(3)पेज 534 में यह प्रतिपादित किया है कि उन्ही तथ्यों के आधार पर उसी अनुतोष के लिए अनुवर्ती आवेदन स्वीकार नहीं किये जा सकते जिन्हे खारिज करना ठीक माना गया। उपरोक्त अनुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी,केकड़ी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 149/2009 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2015 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर